



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण 1943 (श10)

(सं० पटना 973) पटना, मंगलवार, 30 नवम्बर 2021

शिक्षा विभाग

आदेश

12 नवम्बर 2021

सं० 11/वि 1-08/2013 (अंश-III) 1816-विभागीय संकल्प संख्या-1530 दिनांक-11.08.2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 5200-20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड वेतन क्रमशः 2000, 2400 एवं 2800 स्वीकृत किया गया।

2. उक्त संकल्प में यह प्रावधानित था कि नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। साथ ही, नियोजित एवं भविष्य में नियोजित प्रशिक्षित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान के साथ ग्रेड-पे की देयता उनकी सेवा के दो वर्ष पूरा होने के उपरान्त देय होगा।

3. विभागीय संकल्प संख्या-1632 दिनांक-21.06.2017 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन (पे-मैट्रिक्स आधारित) नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को स्वीकृत किया गया। साथ ही, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043 दिनांक-11.10.2017 के तहत राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता के अनुरूप भी उक्त भत्ता नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को देय है।

4. विभागीय संकल्प संख्या-1632 दिनांक-21.06.2017 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश विभागीय आदेश ज्ञापांक-1900 दिनांक-04.10.2019 के द्वारा निर्गत किया गया।

5. इस क्रम में पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 01 अप्रैल, 2021 को देय वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक 29.08.2020 के तहत लिया गया है।

6. विभागीय संकल्प संख्या-1157 दिनांक 29.08.2020 के तहत वर्द्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाना है।

7. उक्त संकल्प के आलोक में पूर्व से निर्गत पे-मैट्रिक्स को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वेतनमान	5200-20200			
Grade Pay	0	2000	2400	2800
Entry Pay	5200	7200	7600	8000
1	15380	21290	22480	23650
2	15850	21940	23150	24360
3	16330	22600	23860	25100
4	16830	23280	24580	25860
5	17340	23980	25330	26640
6	17860	24710	26100	27440
7	18400	25450	26890	28270
8	18960	26210	27710	29120
9	19530	27010	28550	30000
वेतनमान	5200-20200			
Grade Pay	0	2000	2400	2800
Entry Pay	5200	7200	7600	8000
10	20120	27820	29410	30910
11	20730	28660	30300	31840
12	21360	29530	31220	32790
13	22000	30420	32160	33780
14	22670	31340	33120	34800
15	23360	32290	34130	35850
16	24060	33260	35160	36930
17	24790	34260	36220	38050
18	25530	35300	37310	39200

- (i) संबंधित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 01 अप्रैल 2021 को विभागीय संकल्प संख्या-1632 दिनांक-21.06.2017 में निर्धारित मैट्रिक्स में पूर्व से प्राप्त मूल वेतन में 1.15 से गुणा कर जो राशि आएगा, उसे उपर्युक्त पे-मैट्रिक्स के सापेक्ष अथवा ठीक उपर के लेबल के अनुसार निर्धारित करते हुए 01 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा। भत्तों का भुगतान पूर्व की भांति होगा।
- (ii) 01 अप्रैल 2021 के प्रभाव से उपर्युक्त पे-मैट्रिक्स में जिन शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन का निर्धारण होगा, उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ 01 जनवरी 2022 से देय होगा।
- (iii) उपर्युक्त पे-मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

8. वेतन का निर्धारण हेतु online calculator तैयार कराया जा रहा है, ताकि यह कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से निष्पादित हो सके। वेतन का निर्धारण online calculator उपलब्ध कराने के पश्चात् ही किया जाएगा।

9. उक्त संकल्प अथवा उक्त आदेश के क्रियान्वयन में किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेशों/परिपत्रों का अवलोकन किया जा सकता है अथवा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक निदेश निर्गत किए जा सकते हैं।

10. उक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश से,
अरशद फिरोज,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 973-571+500-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>